# नेपाल राजपत्र

**नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित**

खण्ड ६६) काठमाण्डौ, जेठ ३१ गते, २०७३ साल ( संख्या ११


## भाग ३

नेपाल सरकार

### भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-३ को सट्टा देहाय बमोजिमको अनुसूची-३ राखी हेरफेर गरेको छ :-

"अनुसूची-३

**दस्तुर तालिका**

(क) नियम ४ को उपनियम (१) र नियम ६ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सवारी दर्ता र सरूवा दर्ता दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | सवारीको किसिम | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | निजी | १५००/- |
| | | सार्वजनिक | २५००/- |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मझौला सवारी | | निजी | १०००/- |
| | | | सार्वजनिक | १५००/- |
| ३. | साना सवारी | (क) कार, जीप, भ्यान, पिकअप, टेम्पो, पावरटिलर | निजी | ८००/- |
| | | | सार्वजनिक | १४००/- |
| | | (ख) मोटरसाइकल, स्कुटर | निजी | ३००/- |
| | | | सार्वजनिक | ५००/- |

**स्पष्टीकरण** : पर्यटक सवारी र संस्थानको सवारीको दस्तुर सार्वजनिक सवारी सरह लाग्नेछ ।

(ख) नियम ५ को प्रयोजनको लागि सवारीको अस्थायी दर्ता दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | | सवारीको किसिम | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | | निजी | ८००/- |
| | | | सार्वजनिक | १५००/- |
| २. | मझौला सवारी | | निजी | ६००/- |
| | | | सार्वजनिक | १०००/- |
| ३. | साना सवारी | (क) कार, जीप, भ्यान, पिकअप, टेम्पो, पावरटिलर | निजी | ५००/- |
| | | | सार्वजनिक | ८००/- |
| | | (ख) मोटरसाइकल, स्कुटर | निजी | २००/- |
| | | | सार्वजनिक | ३००/- |

**स्पष्टीकरण** : पर्यटक सवारी र संस्थानको सवारीको दस्तुर सार्वजनिक सवारी सरह लाग्नेछ ।



80 आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(ग) नियम ७ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि विदेशमा दर्ता भएका सवारी चलाउने अनुमतिपत्र दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी र मझौला सवारी | १५००/- |
| २. | साना सवारी | ५००/- |

(घ) नियम ८ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | | सवारीको किसिम | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | | निजी | २००/- |
| | | | सार्वजनिक | ८००/- |
| २. | मझौला सवारी | | निजी | ३००/- |
| | | | सार्वजनिक | ५००/- |
| ३. | साना सवारी | (क) कार, जीप, भ्यान, पिकअप, टेम्पो, पावरटिलर | निजी | २००/- |
| | | | सार्वजनिक | ३००/- |
| | | (ख) मोटरसाइकल, स्कुटर | निजी | १००/- |
| | | | सार्वजनिक | २००/- |

<u>स्पष्टीकरण</u> : पर्यटक सवारी र संस्थानको सवारीको दस्तुर सार्वजनिक सवारी सरह लाग्नेछ ।

(ङ) नियम ९ को उपनियम (१) र नियम १० को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सवारीको नामसारी र धनीको मृत्यु भएको सवारीको नामसारी दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | सवारीको | दस्तुर |
|---|---|---|---|



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | किसिम | (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | | निजी | ८००/- |
| | | | सार्वजनिक | १५००/- |
| २. | मझौला सवारी | | निजी | ६००/- |
| | | | सार्वजनिक | १०००/- |
| ३. | साना सवारी | (क) कार, जीप, भ्यान, पिकअप, टेम्पो, पावर टिलर | निजी | ५००/- |
| | | | सार्वजनिक | ८००/- |
| | | (ख) मोटरसाइकल, स्कुटर | निजी | २००/- |
| | | | सार्वजनिक | ३००/- |

**स्पष्टीकरण** : पर्यटक सवारी र संस्थानको सवारीको दस्तुर सार्वजनिक सवारी सरह लाग्नेछ ।

(च) नियम १४ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दस्तुर रू. ५००/-

(छ) नियम २० को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि चालक अनुमतिपत्र दरखास्त दस्तुर रू. ५००/-

**स्पष्टीकरण**: एउटै दरखास्तबाट एकभन्दा बढी किसिमका सवारी चलाउन इजाजतको लागि दरखास्त दिन चाहेको हकमा जति किसिमको सवारी चलाउने इजाजतको लागि दरखास्त दिएको हो सो को छुट्टाछुट्टै दस्तुर लाग्नेछ ।

(ज) नियम २२ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि चालक अनुमतिपत्रमा अरू सवारी समावेश गर्दा लाग्ने दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | १०००/- |



182 आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | |
|---|---|---|
| २. | मझौला सवारी र साना सवारी | ५००/- |

**स्पष्टीकरण** : एउटै चालक अनुमतिपत्रमा एकभन्दा बढी किसिमका संवारी चलाउने इजाजत पाएका व्यक्तिको हकमा निजले सबैको छुट्टाछुट्टै लिँदा लाग्ने दस्तुर जति नै लाग्नेछ ।

(झ) नियम २३ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | | दस्तुर (रूपैयाँमा) |
|---|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | | ३०००/- |
| २. | मझौला सवारी | | २५००/- |
| ३. | साना सवारी | (क) मोटरसाइकल, स्कुटर बाहेकका साना सवारी | २०००/- |
| | | (ख) मोटरसाइकल, स्कुटर | १५००/- |

**स्पष्टीकरण** : (१) एउटै चालक अनुमतिपत्रमा एकभन्दा बढी किसिमका सवारी चलाउने इजाजत पाएका व्यक्तिका हकमा सबैभन्दा बढी दस्तुर लाग्ने सवारीको नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।

(२) नवीकरण पाँच वर्षको लागि कायम रहनेछ ।

(ञ) नियम २४ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि चालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुर रू. ५००/-

(ट) नियम २६ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि परिचालक अनुमतिपत्र दरखास्त दस्तुर रू.१००/-

(ठ) नियम २८ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि परिचालक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर रू.२००/-



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(ड) नियम २९ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि परिचालक अनुमतिपत्र प्रतिलिपि दस्तुर रू.१००/-

(ढ) नियम ३० को उपनियम (१), नियम ३१ को उपनियम (१), नियम ३२ को उपनियम (१) र नियम ३४ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि क्रमशः बाटो इजाजतपत्र, बाटो परिवर्तन, पटके बाटो इजाजतपत्र र बाटो इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर

(१) बाटो इजाजतपत्र दस्तुर (नवीकरण समेत)

| क्र.सं. | दुरी (कि.मि.) | सवारीको वर्गीकरण र दस्तुर (रूपैयाँमा) | |
|---|---|---|---|
| | | ठूला र मझौला बस, मिनिबस आदि | ठूला र मझौला ट्रक, मिनिट्रक आदि |
| १. | १ देखि ५० कि.मि. सम्म | ५००/- | ६००/- |
| २. | ५१ देखि १०० कि.मि. सम्म | ६००/- | ७००/- |
| ३. | १०१ देखि १५० कि.मि.म्म | ८००/- | ९००/- |
| ४. | १५१ देखि २०० कि.मि. सम्म | ९००/- | ११००/- |
| ५. | २०१ देखि २५० कि.मि. सम्म | १०००/- | १२००/- |
| ६. | २५१ देखि ३०० कि.मि. सम्म | १२००/- | १३००/- |
| ७. | ३०१ देखि ३५० कि.मि. सम्म | १३००/- | १५००/- |
| ८. | ३५१ देखि ४०० | १४००/- | १६००/- |


आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | दुरी (कि.मि.) | सवारीको वर्गीकरण र दस्तुर (रूपैयाँमा) | |
|---|---|---|---|
| | | ठूला र मझौला बस, मिनिबस आदि | ठूला र मझौला ट्रक, मिनिट्रक आदि |
| | कि.मि. सम्म | | |
| ९. | ४०१ देखि ४५० कि.मि. सम्म | १५००/- | १७००/- |
| १०. | ४५१ देखि ५०० कि.मि. सम्म | १७००/- | १९००/- |
| ११. | ५०१ देखि ५५० कि.मि. सम्म | २१००/- | २०००/- |
| १२. | ५५१ देखि ६०० कि.मि. सम्म | २२००/- | २१००/- |
| १३. | ६०१ देखि ६५० कि.मि. सम्म | २३००/- | २३००/- |
| १४. | ६५१ देखि ७०० कि.मि. सम्म | २५००/- | २४००/- |
| १५. | ७०१ कि.मि. भन्दा माथि | २८००/- | २६००/- |

(२) पाँच सिटभन्दा बढी चौध सिटसम्म क्षमता भएको सार्वजनिक सवारीको लागि बाटो इजाजत दस्तुर (नवीकरण समेत):

| क्र.सं. | दुरी (कि.मि.) | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | १ देखि ५० कि.मि. सम्म | ४००/- |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुन्छ।

| | | |
|---|---|---|
| २. | ५१ देखि १०० कि.मि. सम्म | ५००/- |
| ३. | १०१ देखि १५० कि.मि. सम्म | ६००/- |
| ४. | १५१ देखि २५० कि.मि. सम्म | ७००/- |
| ५. | २५१ देखि ३०० कि.मि. सम्म | ८००/- |

(३) तोकिएको निश्चित बाटो (रुट) वा क्षेत्रभित्र सञ्चालनार्थ लाग्ने बाटो इजाजत दस्तुर

| क्र.सं. | सवारीको वर्गीकरण | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | १४ सिट वा सो भन्दा मुनिका (मिटरवाला बाहेक) हलुका सार्वजनिक सवारी र एक टनसम्म क्षमता भएको ट्याक्टर, पावरटिलर | ५००/- |
| २. | मिटर भएको ट्याक्सी | ५००/- |
| ३. | मिटर भएको टेम्पो | ४००/- |

(४) पटके बाटो इजाजत दस्तुर प्रति ५० कि.मि. को लागि दस्तुर रू.१००/-

(५) काठमाडौं उपत्यकाभरिका बाटो (रुट) हरुमा सञ्चालन गर्ने ठूला तथा मझौला सार्वजनिक सवारीहरुको बाटो इजाजत दस्तुर रू.२३००/-

(६) नेपालमा कायम भएका बाटोहरुमा सञ्चालन गर्ने ठूला तथा मझौला पर्यटक सवारीहरु, संस्थानका



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

सवारीहरु र भांडाका ट्रकहरुको राष्ट्रव्यापी बाटो इजाजत (National Permit) दस्तुर रू.१०,०००/-

(७) तोकिएको बाटो (रुट) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक सवारीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराई बाटो इजाजतपत्र प्रदान गरेकोमा माथि उल्लिखित दस्तुरमा नघट्ने गरी दस्तुर निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

(ण) नियम ३८ को प्रयोजनका लागि बाटो इजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुर रू. १००/-

(त) नियम ३९ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि जाँचपास प्रमाणपत्रको दरखास्त दस्तुर

| क्र.सं | सवारीको वर्गीकरण | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | ठूला सवारी | ३००/- |
| २. | मझौला सवारी र साना सवारी | २००/- |

(थ) नियम ४४ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सेवाको नाम पञ्जीकृत दस्तुर

| क्र.सं. | पूँजी | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | रू. पन्ध्र लाखभन्दा कमको लागि | १०००/- |
| २. | रू. पन्ध्र लाखभन्दा बढी रू. पचास लाखभन्दा कमको लागि | २५००/- |
| ३. | रू. पचास लाखभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि | ४०००/- |

(द) नियम ४५ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पूँजी | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | रू. पन्ध्र लाखभन्दा कमको लागि | १०००/- |
| २. | रू. पन्ध्र लाखभन्दा बढी रू. पचास लाखभन्दा कमको लागि | ३०००/- |
| ३. | रू. पचास लाखभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि | ५०००/- |

(ध) नियम ५६ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कशप सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर

| क्र.सं. | पूँजी | दस्तुर (रुपैयाँमा) |
|---|---|---|
| १. | रू. दुई लाखभन्दा कमको लागि | १०००/- |
| २. | रू. दुई लाखभन्दा बढी रू. पाँच लाखभन्दा कमको लागि | १५००/- |
| ३. | रू. पाँच लाखभन्दा बढी रू. दश लाखभन्दा कमको लागि | २५००/- |
| ४. | रू. दश लाख देखि माथि जतिसुकै भए पनि | ४०००/- |

आज्ञाले,
अर्जुन कुमार कार्की
नेपाल सरकारकोसचिव

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।